राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1 तेरहवीं विधान सभा के पहले सत्र का दसवां दिवस संख्या 7

शनिवार,

10 जनवरी, 2009

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): शोकाभिव्यक्ति होगी।

श्री अध्यक्ष: बाद में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, जो कार्य सूची आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के सचिवालय ने हमें दी है उस कार्य सूची में सबसे पहले शोकाभिव्यक्ति है। यह नई परम्परा नहीं हो अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है.....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कार्य सूची में जीरो ऑवर का उल्लेख नहीं होता है। जीरो ऑवर का उल्लेख नहीं होता है, प्रश्न काल के बाद में होता है। चूंकि आज प्रश्न काल नहीं था....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय, मेरी यह प्रार्थना है कि जो कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई थी उसमें सत्ता पक्ष..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जो बिजनैस है उसको लेने दीजिये आप। बिजनैस को तो लेने दीजिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (संसदीय कार्य मंत्री): बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको सदन पास कर चुका उस पर एतराज उठाना बिल्कुल गलत है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमने कल प्रश्न काल किया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गलत है। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य को इजाजत नहीं है। (व्यवधान) माननीय सदस्यों ने जो स्थगन प्रस्ताव दिये हैं ....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ..... हम राजस्थान की समस्याओं को रखना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यों ने जो स्थगन प्रस्ताव दिये उनको कृपया आप अवसर दें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (संसदीय कार्य मंत्री): सदन बहुमत से पास कर चुका है उस पर एतराज नहीं उठाया जा सकता।

श्री अध्यक्ष: .... बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव दिये हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक में निर्णय न हो, हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया और विरोध दर्ज कराने के बाद में हम चले आये.....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सदन में हुआ है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उसके बाद भी आपने हठधर्मिता से कार्य सलाहकार और उसमें हाउस में..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): इस तरीके का भाषण देकर के आप सदन का अपमान कर रहे हैं। आप सदन का अपमान कर रहे हैं। सदन ने बहुमत से उसको पास किया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 22 हजार करोड़ खा लिये आप लोगों ने। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये हाउस को चलाना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...... समिति बनी है कि उसमें पक्ष-विपक्ष के सारे लोग रहते हैं।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): 000

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): 000

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): 000

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): 000

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा समाप्त। स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा समाप्त।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचना

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। 295 के अन्तर्गत श्रीमती किरण माहेश्वरी, श्री रामलाल गुर्जर, श्री कन्हैया लाल झंवर, श्री राधेश्याम गंगानगर, श्री जगसीराम कोली, श्रीमती रोहिणी कुमारी, श्री ओटाराम, डा. विश्वनाथ मेघवाल, श्री पवन कुमार दुग्गल, श्री दौलतराज, श्री अजय सिंह और श्री वासुदेव देवनानी। माननीय सदस्यों को 295 को उनके द्वारा दी गई सूचनाओं को पढ़ने की अनुमति होगी।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर माननीय सदस्यों के लेख को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले मुद्दे

आज दिनांक 10 जनवरी, 2009 को शून्यकाल में बोलने हेतु 10 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं जो निम्नांकित हैं:-

1.	श्री अर्जुन लाल	अकाल राहत कार्यों एवं चारा डिपो खोलने बाबत।
2.	श्रीमती सूर्यकांता व्यास	पशु क्रूरता निवारण एवं असहाय पशुओं के आश्रय स्थल को सहयोग करने बाबत।
3.	श्री कैलाश भंसाली	भू-जल स्तर बढ़ने से शहर तथा अजीत कॉलोनी में अण्डर ग्राउण्ड तहखानों में पानी भर जाने बाबत।
4.	श्री ओम बिरला	ट्रक आपरेटर्स की हड़ताल के कारण राज्य में फैली अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

श्री अर्जुन लाल, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, श्री कैलाश भंसाली, श्री ओम बिरला। (व्यवधान)

शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्य, शोकाभिव्यक्ति के लिए विराजें। शोकाभिव्यक्ति। शोकाभिव्यक्ति के लिए विराजें। शोकाभिव्यक्ति के लिए विराजें। शोकाभिव्यक्ति के लिए

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

अपने-अपने स्थान पर विराजें। शोकाभिव्यक्ति के लिए कृपया अपने-अपने स्थान पर विराजें। शोकाभिव्यक्ति के लिए कृपया अपने-अपने स्थान पर विराजें। (व्यवधान)

मैं सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.09 बजे एक घंटे के लिए स्थगित की गई।)

vkj/akt/10012009/1200/1g

पुनः समवेत होने पर

(12.09 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्षः (व्यवधान) शोकाभिव्यक्ति। कृपया बैठिये। शोकाभिव्यक्ति। (व्यवधान) मेहरबानी करके बैठ जाइये। शोकाभिव्यक्ति। (व्यवधान) मेहरबानी करके बैठ जाइये। शोकाभिव्यक्ति, शोकाभिव्यक्ति। (व्यवधान) कृपया बैठ जाइये। समझने का प्रयास करें। (व्यवधान)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

दुर्गालाल बाढ़दार श्री, के निधन पर

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री दुर्गालाल बाढ़दार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व सदस्य श्री दुर्गालाल बाढ़दार का जन्म 29 सितम्बर, 1924 को जयपुर में हुआ। आपने महाराजा कालेज, जयपुर तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से एम.ए., एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार तीसरी तथा चौथी राजस्थान विधान सभा के लिए हवामहल निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति के सभापति रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

उच्चतम न्यायालय तथा राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहे श्री बाढ़दार की राजस्थान अभिधृति अधिनियम, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम तथा जागीर अधिनियम की व्याख्या प्रकाशित हुई। आप 'राजस्थान रेवेन्यु डिसीजन्स' मासिक जनरल के सम्पादक भी रहे। सार्वजनिक जीवन में श्री बाढ़दार जयपुर नगरपालिका के सदस्य भी रहे। काव्य साधना तथा साहित्य में विशेष रुचि रखने वाले श्री बाढ़दार अनेक शैक्षिक

संस्थाओं से सम्बद्ध रहे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार का दिनांक 9 जनवरी, 2009 को निधन हो गया।

मैं दिवंगत श्री बाढ़दार को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक-संतप्त परिजनों को उनको बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।)

Jkj/akt/12.10/1h/10.1.2009

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष यह चाहता है कि सदन चले। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था, हम यह चाहते हैं कि सदन चले पर सदन नियमों से चले, परम्पराओं से चले...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कटारिया साहब ने जो गुण्डागर्दी शब्द कहा है वह एक्सपंज किया जाय और इनसे माफी मंगवाई जाय। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माफी मंगवाइये पहले। इनसे माफी मंगवाई जाय। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): इस तरीके की भाषा बोलने वालों से माफी मंगवाई जाय।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अध्यक्षजी, इनसे पहले माफी मंगवाइये । (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं अभी भी कह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): इतने पुराने सदस्य होकर के...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह सत्ता पक्ष के ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: गुण्डा किसको कहा, गुण्डा किसको कहा। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, आप बिराजे थे और गुण्डागर्दी की बात आदरणीय कटारियाजी ने कही है वह शब्द वापिस लेने चाहिए, माफी

मांगनी चाहिए। (व्यवधान) बार-बार सदन का माहौल खराब करते हैं, वैल में आते हैं, यह सदन चलाना नहीं चाहते इसलिए बार-बार वैल में आते हैं...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): सदन में किस प्रकार की भाषा बोलनी चाहिए, यह जानकारी नहीं है...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): बहस करना चाहते हो तो बहस करें...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, गुण्डागर्दी कहने पर माफी मंगवाई जाय। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): बहस करने के लिए मुद्दे नहीं हैं इनके पास, और यह नारे लगाने हैं तो...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बाईस हजार करोड़ रूपये खाये हैं जनता का। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): इन्होंने गुण्डागर्दी शब्द का इस्तेमाल किया है.. (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में आकर बोलना प्रारम्भ)

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाये रखें माननीय सदस्यगण। सदन की कार्यवाही चलने में सहयोग करें। कृपया व्यवस्था बनाये रखें माननीय सदस्यगण। कृपया सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अब तो यह स्पष्ट है कि सदन के नेता का भाषण सुनने से डरती है भारतीय जनता पार्टी। यह बार-बार आकर यहां पर नारे लगाते हैं, बोलने के लिए इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, पाँच साल में जो भ्रष्टाचार किया, यह उसको छुपाना चाहते हैं। (व्यवधान) भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जवाब देना नहीं चाहते, इसलिए नारे लगा रहे हैं, नारे लगाकर सच्चाई को दबाना चाहते हैं।

(सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया व्यवधान नहीं। कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें। मैं समस्त माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं, कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें। कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें। नियमों का ध्यान रखें, कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें।

(सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा निरन्तर नारेबाजी)

मैं तो सबसे प्रार्थना कर रहा हूं। सब से प्रार्थना कर रहा हूं, सबसे प्रार्थना कर रहा हूं। कृपया विराजें।

Bhs/akt/10.1.09/12.20/1j

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया

विराजें। कृपया विराजें। सभी माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं कि कृपया विराजें। कृपया अपने-अपने स्थान पर विराजें। कृपया माननीय सदस्यगण, विराजें। कृपया व्यवस्था को बनाये रखें माननीय सदस्यगण, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्यगण, कृपया व्यवस्था बनाये रखें। माननीय सदस्यगण, कृपया आसन को सहयोग करें। कृपया विराजें अपने-अपने स्थान पर, आगे की कार्यवाही चलने दें। कृपया व्यवस्था बनाये रखें। माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान पर विराजें।

(सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

... नहीं हो रहा है। प्रभावित नहीं हो रहा है। अध्यक्ष को कोई निर्देश नहीं दे रहा है। उन्होंने भी आकर के यह प्रार्थना, उन्होंने भी यही प्रार्थना की है कि वो सदन चलाना चाहते हैं कृपया सदन चलाने में सहयोग करें। कृपया व्यवस्था बनाये रखें। कार्यसूची के अनुसार कार्य संपन्न कराने दें उसके बाद अभिभाषण पर चर्चा भी मैं कराने जा रहा हूं। कार्यसूची को संपादित कराने दें उसी के अनुरूप अभिभाषण पर भी चर्चा की जाएगी। कृपया व्यवस्था बनाये रखें। आप लोग विराजें।

कैलाश 10.01.2009 12.30 (1) **1k**

(सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

ans/akt 12.40 1l 10012009

(सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री अध्यक्षः कृपया व्यवस्थाएं बनाये रखें। कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें। मैं सारे पक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कृपया व्यवस्था बनाए रखें। सदन की कार्यवाही दो घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.41 बजे दो घंटे के लिए स्थगित हुई।)

दुर्गा/चौहान 10012009 1440 **2g**

पुनः समवेत होने पर

(14.41बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के लोग, इनको चाहिए कि ये मुख्य मंत्री को सुनें। आखिर मुख्य मंत्रीजी कुशासन की, 5 वर्ष के कुशासन की पोल खोलेंगे। (व्यवधान) 5 वर्षो के कुशासन की पोल...।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, हम सदन चलाना चाहते हैं पर ये किस तरह का यह व्यवहार कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): यह बहस में भाग लेना नहीं चाहते। ये भाग ही नहीं लेना चाहते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का रवैया सत्ता-पक्ष का है (व्यवधान) एक खण्डित जनादेश वाली सरकार...। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था चलने दें। माननीय सदस्यों से मैं प्रार्थना करुंगा कि वे कृपया व्यवस्था चलने दें। (व्यवधान) कृपया व्यवस्था बनाये रखें। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): यह 22 हजार रुपयों के घोटालों के आरोप..। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): पहले आपको चाहिए कि आप तरीके से आयें। (व्यवधान) जनता भी सुनना चाहती है कि क्या करना चाहते हैं विधान सभा में।

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाये रखें। (व्यवधान) कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इनको पाबन्द कीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्या बात है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यों से आग्रह करुंगा कि कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ये बारबार वैल में आकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, सदन चलाना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाये रखें। (व्यवधान) सदन की कार्यवही एक घण्टे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.43 बजे 15.43 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

Vps-usc- 10.01.2009-15.40-2n

(पुनः समवेत् होने पर)

(15.43 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्षः सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। ...(व्यवधान)... कृपया, शांति रखें। ...(व्यवधान)...

(भारी शोरगुल व व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह का अप्रजातांत्रिक व्यवहार सत्ता पक्ष का रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा के इतिहास के अन्दर इसका एक काला अध्याय लिखा जा रहा है। नियमों और प्रक्रियाओं की अवहेलना करके सत्ता पक्ष अपने खंडित जना-देश के साथ जिस तरह विधान सभा को संचालित किया जा रहा है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः कृपया, व्यवस्था बनाये रखें। वार्षिक प्रतिवेदन। श्रीमती बीना काक, पर्यटन मंत्री। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग आये हैं। हम यहां पर विचार विमर्श करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यहां पर ...(व्यवधान)... चाहते हैं। राजस्थान के आम आवाम की बात प्रतिपक्ष की नेता बोलना चाहती हैं। ...(व्यवधान)...

(भारी शोरगुल व व्यवधान)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमैंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-07

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमैंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान)... लेकिन जिस तरह का व्यवहार सत्ता पक्ष का है, जिस प्रकार सत्ता पक्ष जानबूझकर इस सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस तरह की बात इस सत्ता पक्ष के लिए उचित नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में प्रस्ताव। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक। ...(व्यवधान)...

श्री मुरारीलाल मीणा (दौसा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने दिनों से पूरे हाउस में व्यवधान पैदा हो रहा है, जनता का सारा पैसा खराब हो रहा है। हम सब का समय खराब हो रहा है। ...(व्यवधान)...

(भारी शोरगुल व व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही हमारे रक्षक हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय, चेयर को चाहिए था कि इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि ...(व्यवधान)...

श्री मुरारीलाल मीणा (दौसा): यह दोनों ही पार्टी के लोग विधान सभा को चलने देना नहीं चाहते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह क्या मजाक है? ...(व्यवधान)...

(भारी शोरगुल व व्यवधान)

वित्तीय समितियों का गठन

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

'राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1), 231, 232(1) सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमशः जन लेखा समिति, प्राक्कलन समिति- 'क', प्राक्कलन समिति- 'ख' एवं राजकीय उपक्रम समिति प्रत्येक के लिए 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं, यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1), 231(1), सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथा-सम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उनका प्रतिनिधित्व दिया जाय, जितना सभा में उनकी सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें।' ...(व्यवधान)...

श्री मुरारीलाल मीणा (दौसा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा व्यवधान पैदा हो रहा है। जनता का सारा पैसा खराब हो रहा है। हम सबका समय खराब हो रहा है। यह दोनों ही पार्टी के लोग विधान सभा को चलने देना नहीं चाहते हैं। ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(सत्ता-पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरासर अन्याय हो रहा है। ...(व्यवधान)... न कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग हुई। न कार्य सलाहकार समिति में कोई एजेंडा तय हुआ। इस प्रकार का गलत काम आज तक राजस्थान की विधान सभा में नहीं हुआ है। यह राजस्थान की विधान सभा को कलंकित करने वाला अध्याय है। इस संबंध में, ...(व्यवधान)... इस तरह से नहीं हुए। ...(व्यवधान)... कभी भी दस-दस विधेयक एक साथ नहीं हुए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में आप मौजूद थे खुद भी। उसकी मीटिंग में थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कभी भी अभिभाषण के ऊपर विधेयक नहीं रखे गये। ...(व्यवधान)... इस प्रकार का गलत, अप्रजातांत्रिक काम आपकी अध्यक्षता में हो, यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारा असंवैधानिक, यह सब गैर-कानूनी, यह अमर्यादित आचरण है और माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नहीं होना चाहिए।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(सत्ता-पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में माननीय सरकारी मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का गलत काम राजस्थान की विधान सभा में आज तक नहीं हुआ है। राजस्थान की विधान सभा में इस प्रकार का गलत काम आज तक नहीं हुआ है। राजस्थान के इतिहास में ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अगेत्तर वाद-विवाद होगा।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 हजार करोड़ का घोटाला ...(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, न तो कार्य सलाहकार समिति में इस बात का निर्णय हुआ कि यह-यह विषय लिये जाएंगे। कार्य

सलाहकार समिति, माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन ने जो कार्य सलाहकार समिति बनायी ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए, माननीय श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इस कार्य सलाहकार समिति में न तो कोई यह ...(व्यवधान)... कार्य सलाहकार समिति ने ...(व्यवधान)...

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चोर मचाये शोर। ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(सत्ता-पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: अभिभाषण पर वाद-विवाद पर बोलेंगे, माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी। ...(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति बनायी है, उसमें तो ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का गलत काम आप करके ...(व्यवधान)... इसके बाद अभिभाषण पर बोलने की जरूरत नहीं है। आपने कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन गलत तरीके से ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप सुनना भी नहीं चाहते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय आपको अनुमति दे रहे हैं। यह पोल खुल रही है आपकी। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अभिभाषण पर वाद-विवाद। श्री राजेन्द्र पारीक। श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (संसदीय कार्य मंत्री): ...(व्यवधान)... आप अभिभाषण के जवाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ...(व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ...(व्यवधान)... 22 हजार करोड़ खा गये उस आरोप के संबंध में ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बहस करने के लिए तैयार क्यों नहीं है आप लोग? माननीय अध्यक्ष महोदय ने आपके उप नेता का नाम पुकारा है। ...(व्यवधान)... आप बहस करो, बहस करो। माननीय अध्यक्ष महोदय ने आपके उप नेता का नाम पुकारा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (संसदीय कार्य मंत्री): हम सुनना चाहते हैं उनको। हम सुनना चाहते हैं। अब सुनना नहीं चाहते हैं, यह लोग। आपने घनश्यामजी तिवाड़ी का नाम पुकारा है अभिभाषण पर। हम शांतिपूर्वक तरीके से सुनना चाहते हैं लेकिन यह नहीं चाहते हैं। यह नहीं चाहते हैं कि ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः अभिभाषण पर। ...(व्यवधान)... कृपया, शांति बनाये रखें। कृपया, अभिभाषण पर शांतिपूर्वक चर्चा चलने दें। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अभिभाषण पर शांतिपूर्वक चर्चा चलने दें। ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो चर्चा करना चाहते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः कृपया, अभिभाषण पर शांतिपूर्वक बहस कर चर्चा करने दें। ...(व्यवधान)... कृपया, शांतिपूर्वक अभिभाषण पर चर्चा करने दें। ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दीजिए। व्यवस्था दीजिए।

एक माननीय सदस्यः आपके कार्यकाल को +++ मत कीजिए।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(सत्ता-पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि डाक्टर रघु शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

Spp/usc/10.1.09/15.50/2o

(भारी शोरगुल एवं व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में आकर नारेबाजी)

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009

श्री शांति कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्ड विचार, खण्ड-2 से 5, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 5 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 5 स्वीकार किये गये।

अनुसूची- कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाये?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में लगातार नारेबाजी)

एक माननीय सदस्य: अध्यक्षजी, जनता के लिये विधेयक बनाया जा रहा है। आप ऐसा मत कर लीजिये। ..(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से आप विधेयक पास कर रहे हो, विधान सभा की गरिमा को किस प्रकार से गिराया जा रहा है विधान सभा में। ...(व्यवधान)...

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में लगातार नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि- कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

श्री शांति कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को पारित किया गया।

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से आप विधेयकों को पास करा रहे हैं, राजस्थान की विधान सभा में इस प्रकार का कलंकित दिन नहीं ....(व्यवधान)....

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में नारेबाजी जारी)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति बनाये रखें। माननीय सदस्य, प्लीज शांति रखें।

(भारी व्यवधान एवं शोरगुल)

विधेयक पर विचार

महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2009

श्री शांति कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार – खण्ड 2 से 48, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड- 2 से 48 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये गये।

एक माननीय सदस्यः अध्यक्ष जी (व्यवधान).... सदन को कलंकित मत करवाइये। अध्यक्षजी, इनको पारित मत कराइये। ..(व्यवधान)...

(सदन में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

श्री अध्यक्षः अनुसूची 1 व 2, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाये?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गई।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करंगे कि महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2009 को पारित किया जाये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2009 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2009 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2009 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ विधेयक, 2009

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में भारी व्यवधान एवं नारेबाजी)

खण्डश: विचार : खण्ड – 2 से 48, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 व 2 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाये?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गई।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कृपया शांति बनाये रखें। सदन की कार्यवाही चलने दें। कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग दें। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। ...(भारी व्यवधान)...

सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.57 बजे आधे घण्टे के लिये स्थगित हुई।)

Pcs-usc-10-01-09-16.20-3a

पुन: समवेत होने पर

(समय: 16.27 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

विधेयक पर विचार

मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ विधेयक, 2009

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना कर रहा था कि विधान सभा का प्रमुख कार्य .... (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, ये तो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। सुबह से एक ही बात है, बहस नहीं करवाना चाहते हैं। (व्यवधान) एक ही मुद्दा लेकर बैठे हैं। ये कुछ नहीं चाहते हैं। माहौल बिगाड़कर वैल में खड़ा होना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खण्ड- 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड- 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम कानून बनायें। सत्तारूढ़ दल आनन-फानन में एक साथ सात-आठ कानून पारित कर रहा है .... (व्यवधान)

विधेयक का पारण

श्री अध्यक्ष: श्री शांति कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ विधेयक, 2009 को पारित किया जाए।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आनन-फानन में आप विधेयक पास करवा रहे हो। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ विधेयक, 2009 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ विधेयक, 2009 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ विधेयक, 2009 पारित किया गया। (भारी व्यवधान)

माननीय सदस्यों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। माननीय सदस्य, कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): राजस्थान में कानून को जिस ढंग से आप पास करवा रहे हैं बिना चर्चा के, एक दिन में सात-सात, आठ-आठ विधेयक लेकर पास करवा रहे हो .... (व्यवधान)

विधेयक पर विचार

श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुडेला (झुंझुनू) विधेयक, 2009

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुडेला (झुंझुनू) विधेयक, 2009, श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुडेला (झुंझुनू) विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुडेला (झुंझुनू) विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, आपकी पहली बार उपस्थिति में और इस आसन पर बैठने के बाद जिस ढंग से कानून आप पास करवा रहे हो, मैं समझता हूं कि यह राजस्थान के लिये दुर्भाग्यशाली दिन होगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के हत्यारे हो क्या। (व्यवधान)

खण्डश:विचार

श्री अध्यक्ष: खण्डश: विचार। खण्ड 2 से 48, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 48 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 व 2, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गई।

खण्ड- 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुडेला (झुंझुनूं) विधेयक, 2009

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुडेला (झुंझुनूं) विधेयक, 2009 को पारित किया जाय।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुडेला (झुंझुनूं) विधेयक, 2009 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुडेला (झुंझुनूं) विधेयक, 2009 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुडेला (झुंझुनूं) विधेयक, 2009 को पारित किया गया।

(माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): जिस ढंग से आज पास करा रहे हो उससे ज्यादा बड़ा ...(व्यवधान)... राजस्थान की विधान सभा के लिए नहीं होगा। ...(व्यवधान)... यह पहली विधान सभा का पहला सत्र है और आप पहले अध्यक्ष हैं इस सत्र के, कुर्सी पर बैठे हैं। ऐसे समय में कानून को जिस ढंग से आप पास करा रहे हो, इससे बड़ा अपमान इस लोकतंत्र का नहीं होगा। राजस्थान की 6 करोड़ जनता का इससे बड़ा अपमान नहीं होगा। ...(व्यवधान)...

(माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

विधेयक पर विचार

जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2009

श्री अध्यक्ष: जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2009 श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आपने जिस प्रकार की कार्यवाही की है, आप हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य कर रहे हो, आप न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य कर रहे हो। आपने आज इस सदन में, इस सरकार ने जिस प्रकार से विधेयक पास कराये हैं, संसदीय जीवन के इतिहास में इससे बड़ा काला और कलंकित दिन राजस्थान में कभी नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह संसदीय विशेषाधिकारों का भी हनन है, यह कार्य सलाहकार समिति का भी गला घोटा गया है, यह परम्पराओं का गला भी घोटा गया है। इस प्रकार का गलत काम इस विधान सभा में कहीं नहीं हुआ और वह आपकी अध्यक्षता में हुआ है। ...(व्यवधान)...

खण्डश: विचार

श्री अध्यक्ष: खण्डश: विचार।

खण्ड-2 से 48 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खझउ-2 से 48 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 व 2 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गयी।

(माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह सरकार कलंकित सरकार है, यह सरकार पहले सैशन में ही कलंकित हो गयी है। इस कलंकित सरकार को अब हम सड़कों पर लेकर जायेंगे और लोक सभा के चुनाव में आज जो पाप किया है उसका ...(व्यवधान)... दिला कर रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, यह बात नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2009

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2009 को पारित किया जाये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2009 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: जो सदस्य बोलना चाहें, उन्हें अनुमति दी जायेगी। यदि कोई सदस्य बोलेंगे तो प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

(माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

प्रश्न यह है कि जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2009 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2009 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009, श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री मोहनलाल गुप्ता। (व्यवधान)... माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। श्री मोहनलाल जी गुप्ता से निवेदन करूंगा। श्री मोहनलाल जी गुप्ता (व्यवधान).....

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): बोलना नहीं चाहते। जाकर बोलें न, सदन में बहस हो। ...(व्यवधान)...

(माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार खण्ड 2 से 9, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 9 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड- 2 से 9 स्वीकार किये गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, यह कार्यवाही अवैध है। अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल अवैध है, असंवैधानिक है, गैर-मर्यादित है। आसन को कलंकित करने वाली कार्यवाही यह सरकार कर रही है। यह सरकार आसन को कलंकित कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बचें। आसन की मर्यादा की रक्षा करें। अध्यक्ष महोदय, आप इस सरकार के काले कारनामों के भागीदार न बनें। (व्यवधान)..

(माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्षः खण्ड -1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड -1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप इस गैर-कानूनी कार्यवाही से बचें।विधान सभा को ठीक से चलने दें, विधान सभा को संवैधानिक तरीके से चलायें, असंवैधानिक तरीके से न चलायें। असंवैधानिक तरीका ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आसन की ओर से गलती हो रही है, इसको ठीक करें। ..(व्यवधान)... ठीक से चलायें, मर्यादा में रहें। ..(व्यवधान)...

(माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

जोधपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2009

जोधपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2009, श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री मोहन लाल गुप्ता विचार रखेंगे। माननीय मोहन लाल गुप्ता इस विधेयक पर अपने विचार रखेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): +++...(व्यवधान)... +++ अध्यक्ष महोदय, आप संविधान के अन्तर्गत ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।खण्ड 2 एवं 3, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 4, श्री राजपाल सिंह संशोधन प्रस्तुत करेंगे । माननीय सदस्य श्री राजपाल सिंह। माननीय सदस्य श्री राजपाल सिंह। (व्यवधान)

(माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

खण्ड 5 से 97 – कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 से 97 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 से 97 स्वीकार किये गये।

(माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

अनुसूची 1 – कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 स्वीकार की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 स्वीकार की गयी।

खण्ड 1 – अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 – अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 – अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

(माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री शांति कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि जोधपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2009 को पारित किया जाए ।

विधेयक का पारण

जोधपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2009

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2009 को पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष: जो सदस्य बोलना चाहें उन्हें अनुमति दी जाएगी।

(माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

एक माननीय सदस्य: चोर हैं 22 हजार करोड़ खाने वाले। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठिये । बैठिये। बैठिये। माननीय सदस्य प्लीज । (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2009 को पारित किया जाए ।

(स्वीकृत)

जोधपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2009 को पारित किया गया ।

(माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): +++ भैंरोंसिंहजी खुद कह रहे हैं +++ हैं, दूसरों को +++ कहां बता रहे हो? ठप्पा लगा दिया, आदरणीय भैंरोंसिंहजी ने ठप्पा लगाया 22 हजार करोड़ का, उसका जवाब दो पहले। चिल्लाये जा रहे हो।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

व्यवस्था

अभिभाषण में सरकार की भविष्य की प्राथमिकताओं, घटनाओं के अलावा सम्पादित करवाये जाने वाले विधायी कार्य का भी उल्लेख होना चाहिए

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, दिनांक 07 जनवरी, 2009 को श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, उस पर मैंने अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखी थी। इस सम्बन्ध में मेरी व्यवस्था इस प्रकार है :-

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिनांक 06 जनवरी, 2009 को धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने व उसका अनुमोदन किये जाने के पश्चात् धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद के लिए दिनांक 07 जनवरी, 2009 को श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा का नाम पुकारे जाने पर इनके द्वारा इस आशय का व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि राज्यपाल महोदय को अपने अभिभाषण में संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अन्तर्गत विधान सभा को आहूत किये जाने के कारणों को बताया जाना चाहिये।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 176(1) को उद्दृत किया – 176(1) राज्यपाल का विशेष अभिभाषण – राज्यपाल विधान सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में विधान सभा या विधान परिषद वाले राज्यों की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधान मण्डल को उसके आह्वान के कारण बतायेगा।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यह सारे +++ हैं, यह सारे +++ हैं ...(व्यवधान)... सोनिया गांधी +++ लगा रहे हैं। सारे +++ हैं जो बोल रहे हैं, सारे। ...(व्यवधान)... 22 हजार करोड़ रुपये का जवाब दो ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः राज्यपाल महोदय द्वारा इस अभिभाषण में विधान सभा के सत्राव्हान करने के कारण नहीं बताए। अतः यह अभिभाषण नहीं है और उस अभिभाषण पर डाक्टर रघु शर्मा द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव तथा श्री अलाउद्दीन आजाद ने इसका अनुमोदन किया है वह असंवैधानिक है।

(माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

वाद-विवाद के पश्चात् मैंने व्यवस्था के प्रश्न की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखी थी। माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी, प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय को यह व्यवस्था का प्रश्न महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिनांक 06 जनवरी, 2009 को धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व उठाया जाना चाहिये था। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

वाद-विवाद प्रारम्भ हो गया है अतः इस स्टेज पर यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। फिर भी चूंकि प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय ने जिस भावना से संवैधानिक प्रश्न उठाया है उसकी गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए इस पर मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं – उप नेता महोदय ने यह आपत्ति प्रस्तुत की है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अन्तर्गत विधान सभा के आह्वान किये जाने के कारणों को बताया जाना चाहिये, जब तक अभिभाषण में सत्र आह्वान के कारण नहीं बताए जाएं तो अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव तथा उस पर वाद-विवाद असंवैधानिक होगा।

(माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 176(1) में जो शब्द है 'विधान मण्डल को उसके आह्वान का कारण बतायेगा' यद्यपि कारण शब्द संविधान में अलग से परिभाषित नहीं है परन्तु पूर्व की व्यवस्थाओं एवं परम्पराओं से यहां कारणों से अभिप्राय है कि प्रदेश में गत वर्ष हुई सार्वजनिक महत्व की घटनाएं तथा राज्य सरकार द्वारा भविष्य में जनहित में जो नीतियां बनायी गयी हैं उसका उल्लेख हो।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां दिया है उसमें पैरा 3 से 71 तक सरकार द्वारा आगामी पाँच वर्ष की प्राथमिकताओं और कार्य योजनाओं का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त अभिभाषण के पैरा 71 से 74 में राज्य में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इसलिए माननीय सदस्य द्वारा जो आपत्ति प्रस्तुत की गयी है उसको स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं। ...(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, आप जो रूलिंग दे रहे हो वो एक इतना गम्भीर विषय था, इस विषय को माननीय घनश्यामजी ने उठाया था, वो विषय एक कानून से सम्बन्धित था। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

Ars/usc/1640/10012009/3c/1

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): (व्यवधान) वह विषय कानून से संबंधित था। राज्यपाल का अभिभाषण बिना कारणों और बिना तथ्यों के बताये (व्यवधान) इस सदन में पेश हुआ उसका विरोध किया था। आपने उसकी रूलिंग एक दो दिन में देने की बात की और अभी आप (व्यवधान) इस रूलिंग को पढ़कर आपने जिस प्रकार रूलिंग पढ़ना शुरू कर दिया, मैं समझता हूं जब राज्यपाल द्वारा इतने महत्वपूर्ण (व्यवधान) अध्यक्ष

महोदय, आपके आसन के प्रति, (व्यवधान) आसन का सम्मान करते हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कोई अंकित नहीं होगा। जो मैं बोल रहा हूं उसके अलावा कोई अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): 000

श्री अध्यक्षः इसके अतिरिक्त पूर्व के अभिभाषणों व व्यवस्थाओं को देखते हुए अभिभाषण में सरकार की भविष्य की प्राथमिकताओं, घटनाओं के अलावा सरकार द्वारा संपादित करवाये जाने वाले विधायी कार्यो का भी उल्लेख होना चाहिए। इस सम्बन्ध में पूर्व में तत्कालीन माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 1963 व दिनांक 22 फरवरी, 1964 को दी गई व्यवस्था में भी राज्य सरकार को ऐसे ही निर्देश दिये गये थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): 000

(भा.ज.पा. के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्षः अतः मैं राज्य सरकार, जो कि अभिभाषण बनाने के लिए उत्तरदायी है, को यह निर्देश देना भी उचित समझता हूं कि भविष्य में इस प्रकार के अभिभाषण में उपरोक्त वर्णित समस्त बातों का समावेश किया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): 000

श्री अध्यक्षः कृपया व्यवस्था बनाये रखें। (व्यवधान) कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): 000

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कृपया व्यवस्था बनाये रखें (व्यवधान) कृपया माननीय सदस्य व्यवस्था बनाये रखें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): 000

श्री अध्यक्षः कृपया व्यवस्था बनाये रखें। (व्यवधान) सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.41 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे
जय जय जय जय हे।